न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 25/2017 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2017/00031)

हरिओम पुत्र सुमेरसिंह नाबालिग सरंक्षक पिता सुमेरसिंह जाति जाट निवासी नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।
2. दौलचन्द
3. ओमचन्द

पुत्रान भम्बल जाति जाटव निवासी ग्राम हेलक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

असल रैस्पोडेन्ट.....

4. भीकमसिंह
5. गिल्लोराम
6. हरभानसिंह

पुत्रान रघुनाथ जाति जाट निवासी नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

7. भगवानसिंह
8. लक्ष्मनसिंह

पुत्रान गिर्राज

9. फतेहसिंह
10. महाराज सिंह
11. देवीसिंह
12. जयसिंह

पुत्रान सामरे

जातियान जाट निवासीयान नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी कुम्हेर मु0नं0 120/2006 दौलचन्द वगैरह बनाम राज0 सरकार निर्णय दिनांक रामस्वरूप बनाम सरकार दिनांक 17.10.2007 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री टी0 आर0 शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 27.2.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 17.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि हाल रिकार्ड में दर्ज बादागी वेवा झम्मनलाल (भम्मल) फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकामान वारिसान प्रार्थीगण है। साविक खसरा नम्बर 3551/152 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा प्रार्थीगण के पिता भम्मल पुत्र देविया जाटव खातेदार व काविज आराजी था अव प्रार्थीगण उक्त रकवे पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। साविक आराजी खसरा नम्बर 168 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा पर अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण के पिता सामरे पुत्र वंशी खातेदार काश्तकार व काविज आराजी था। साविक आ0ख0नं0 355/152 व 168 से भू प्रवन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 101/0.82 बनाया है जवकि मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 356/152 रकबा 5 विस्वा भी दर्शाया है जवकि साविक खसरा नम्बर 356/152 का इन्द्राज साविक रिकार्ड में किसी के नाम नहीं है और ना ही उक्त साविक खसरा नम्बर रिकार्ड में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 101 का रकवा साविक रकवा के अनुसार 0.91 है0 दर्ज किया जाना चाहिऐ था व हाल रिकार्ड में प्रार्थीगण/रैस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता का नाम झम्मनलाल गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता का नाम भम्मल दर्ज करना चाहिऐ था। भू प्रवन्ध विभाग को किसी खातेदार का नाम गलत दर्ज करने का एवं रकबा कम वेशी करने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिऐ प्रार्थीगण/रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 101 का रकबा 0.91 है0दर्ज कर प्रार्थीगण रैस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता का नाम झम्मनलाल की जगह भम्मल दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2007 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये यह आदेश दिये कि ग्राम नगला खूंटेला की हाल आराजी खसरा नमबर 102/0.30 में से 0.04 है0 रकबा , 105/0.22 मे सें 0.03 है0 रकबा, व 141/1.56 में से 0.02 है0 रकबा कम करके हाल खसरा नम्बर 101/0.82 में 0.09 है0 रकबा वेशी कर इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। व हाल आराजी खसरा नम्बर 101 पर प्रार्थीगण/रैस्पो0 सख्या 2 व 3 के पिता का नाम झम्मनलाल के स्थान पर भम्मल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड शुद्ध कर इन्द्राज किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पो0 संख्या–2 व 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। रैस्पों0 संख्या–4 व 10 पूर्व में स्वयं उपस्थित

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

27.2.23
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हुए परन्तु इसके बाद उपस्थित नहीं हुए। रैस्पों0 संख्या–5 से 8 व 11 व 12 की विधिवत तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। दौराने बहस वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं आये। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2007 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को नहीं सुना गया है केवल रैस्पोडेन्ट को सुन कर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। जब रैस्पो0प्रार्थी ने अपीलान्ट अप्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया है तो ऐसी सूरत में उन्हें सुना जाना न्यायहित में आवश्यक था। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है और उसके विरूद्ध तहत अदालत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। वक्त नोटिस तामील अपीलान्ट नाबालिग था अतः नोटिस की तामील अपीलान्ट के पिता पर होनी चाहिऐ थी फिर भी नोटिस तामील अपीलान्ट के पिता ना ही जाकर चाचा के लडके सतीश पर होना बताई है। जबकि तामीलकर्ता सतीश अपीलान्ट के घर का सदस्य नहीं है और लक्ष्मन सिंह भी अपीलान्ट का खास चाचा नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नहीं हो सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया और ना ही नाबालिग के हितों का सरंक्षण किया है तथा अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा में सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अन्य खसरा नम्बरान के साथ हाल आराजी खसरा नम्बर 105 रकबा 0.22 ऐयर वाकै ग्राम नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा जयसिंह पुत्र सामरे जाति जाट निवासी ग्राम नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर से प्रतिफल देकर खरीद किया है। जब अपीलान्ट ने हाल खसरा नम्बर 105 को जरिये रजिस्टर्ड बयनमाा खरीदा है तो असल रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को रजिस्ट्री कैन्सिल कराने का अधिकार ही नहीं था। जब विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम रजिस्ट्री से दर्ज हुई है तो अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। अतः अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। न्यायालय को नाबालिग के हितों की रक्षा करनी चाहिऐ जो कि अधीनसथ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के रकबा को कम नहीं किया जा सकता है। यह कि तरतीबी रैस्पोडेन्ट 4 लगायत 12 अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गई। इसलिऐ इनकी तामील कराना आवश्यक नहीं था। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट के पिता सरंक्षक को दिनांक 18.01.2017 को हुई। दिनांक 18.1.2017 को असल रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपीलान्ट के पिता को मौके पर धमकी दी कि तुम्हारे लडके के खसरा नम्बर 105 वाकै ग्राम नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर में से 2 ऐयर रकबा हमने एसडीओ कुम्हेर से अपने नाम करा लिया है तथा अब तुम 2 ऐयर रकबा छोड दो जिससे उसे हम अपने खेत में मिला सकें। इस पर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के पिता ने नकल ली तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। इसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में निर्णय दिया है जबकि अपीलान्ट को नोटिस की तामील ही नहीं हुई है। विधिवत तामील नहीं कराई जाकर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। एक विधिवत बयनामा के आधार पर उचित प्रतिफल देकर कय की गई भूमि के संबध में उसके मालिकाना हक की जांच पडताल किये बिना उपखण्डाधिकारी कुम्हेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2007 पारित किया गया है जिसके बने रहने से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है इसलिऐ विधिविरूद्ध मौका एवं रिकार्ड की वास्तविक स्थिति से परे अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का गलत रूप से विश्लेषण करके मनमाने तरीके संबधित रिकार्ड के परे जाकर यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जो काबिले मंसूखी है। रैस्पों संख्या 2 व 3 के द्वारा तहत अदालत में झूठा बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसको तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया है चूंकि कम किये गये रकबे खसरा नम्बर 105 रकबा 0.22 ऐयर का मालिकाना हक जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपीलान्ट का है। तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश रिकार्ड एवं मौके के विपरीत है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.10.2007 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हाल खसरा नम्बर 105 वाकै ग्राम नगला खूंटेला तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर का पूर्व की तरह 0.22 ऐयर दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2007 के विरूद्ध अदालत हाजा में लगभग 10 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु तय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन करने के लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.01.2017 को रैस्पो0 संख्या–2 व 3 के पिता द्वारा धमकी दिये जाने पर होने का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक 18.01.2017 से पूर्व रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

शपथ पत्र में वर्णित जानकारी की तिथि पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा मियाद संबंधी बिन्दु पर माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि मियाद संबंधी बिन्दु पर अपीलीय न्यायालय को उदार रूख रखना चाहिये। साथ ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये। इस संबंध में निम्न नजीर उल्लेखनीय है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि:—

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि—

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया है। जिसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि रैस्पो0ं की ओर से उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में प्रस्तुत 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को अप्रार्थी संख्या—5 बनाया गया है। जिसमें अपीलान्ट के नाबालिग होने के कारण जरिये बली पिता सुमेर सिंह पक्षकार बनाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट सहित अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दिनांक 29.03.2007 को अदालत मातहत में उपस्थित होकर पक्ष रखने की अपेक्षा की गयी थी। अपीलान्ट को जारी नोटिस की तामील उसके चाचा के लडके सतीश कुमार को करवाना बताई गई है जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा यह आपत्ति की गई है कि जिस सतीश को नोटिस की तामील करवाना बता रहे हैं व न तो अपीलान्ट के पिता है और न ही अपीलान्ट के परिवार का सदस्य ही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट जो कि वरवक्त निर्णय नाबालिग था, को विधिवत तामील का अभाव व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया

21.2.2013
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। जो कि न्यायोचित नहीं है। विवादित भूमि जिससे रकबा कम किया गया है, में अपीलान्ट का हित निहित होने के कारण सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसार दिया जाना आवश्यक था। जिसका कि उक्त प्रकरण में पूर्णतः अभाव है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.2007 जिसमें अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नंबर 105 रकबा 0.22 हैं0 में से 3 ऐयर रकबा कम किया गया है, की सीमा तक निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 105 के संबंध में पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.2.2023

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर